

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/22 पार्ट(5)

जयपुर, दिनांक : 23.10.2024

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	72/2017	श्रीमती धाई देवी, लिपिक ग्रेड-1A, टीएडी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2036	एच-508, गांधीनगर
2.	38/2015	श्री महेन्द्र कटारिया, उप वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर	31.03.2051	एच-524, गांधीनगर
3.	39/2015	श्रीमती आशा खत्री, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग जयपुर	30.04.2050	एच-553, गांधीनगर
4.	41/2015	श्री सुरेन्द्र सिंह हाडा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-19 जयपुर महानगर जयपुर	30.06.2042	एच-562, गांधीनगर
5.	42/2015	श्रीमती शकुन्तला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर	31.07.2044	एच-563, गांधीनगर
6.	43/2015	श्री श्याम सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय प्रभारी अधिकारी जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर जयपुर।	30.06.2045	एच-568, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
7.	44/2015	श्री दुर्गालाल महावर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-21 जयपुर	31.07.2044	एच-577, गांधीनगर
8.	44A/2015	श्री भोजराज मीना, सहायक कर्मचारी, निदेशालय जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राजस्थान जयपुर	31.07.2052	एच-578, गांधीनगर
9.	45/2015	श्री रामपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय सचिव, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर	31.08.2054	एच-579, गांधीनगर
10.	47/2015	श्री डूंगर सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जल संसाधन विभाग जयपुर	30.11.2041	एच-586, गांधीनगर
11.	48/2015	श्री भीम कुमार खनगवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	31.07.2055	एच-589, गांधीनगर
12.	49/2015	श्री राकेश सिंह रावत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर	31.03.2047	एच-592, गांधीनगर
13.	50/2015	श्री ध्यान सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान जयपुर	31.07.2046	एच-596, गांधीनगर
14.	51/2015	श्री जयसिंह चौहान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,	28.02.2034	एच-597,

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour  
Designation : Senior Deputy  
Secretary To Government  
Date: 2024.10.23 17:59:28 IST  
Reason: Approved



		कार्यालय सचिव, इंदिरा गांधी नहर मण्डल जयपुर		गांधीनगर
15.	52/2015	श्रीमती रेखा मोदी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर	31.08.2030	एच-651, गांधीनगर
16.	53/2015	श्रीमती वर्षा खेमनानी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर	31.03.2034	एच-654, गांधीनगर
17.	54/2015	श्री तेजप्रकाश कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान जयपुर	30.06.2030	एच-656, गांधीनगर
18.	56/2015	श्री रामधन मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय निदेशक, अभियोजन विभाग राजस्थान जयपुर	31.07.2052	एच-659, गांधीनगर
19.	57/2015	श्री अकरम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर	31.10.2047	एच-855, गांधीनगर
20.	58/2015	श्री पुरुषोत्तम शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर	30.11.2047	एच-865, गांधीनगर
21.	59/2015	श्री शिवाजीराम मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2 जयपुर	31.12.2035	एच-882, गांधीनगर
22.	60/2015	श्री महेश चन्द सैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर	30.09.2035	एच-888, गांधीनगर
23.	62/2015	श्रीमती पवित्रा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर	30.06.2034	एच-892, गांधीनगर
24.	63/2015	सुश्री मैना देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट कम-8 जयपुर महानगर जयपुर	30.09.2041	एच-894, गांधीनगर
25.	65/2015	श्री किरण देवी सैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जयपुर	31.12.2037	एच-897, गांधीनगर
26.	66/2015	श्री ताराचन्द मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट कम-5 जयपुर महानगर जयपुर	31.7.2047	एच-902, गांधीनगर
27.	67/2015	श्री दिग्विजय सिंह, साक्षर परिचारक, कार्यालय अति. प्रधानाचार्य सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	28.02.2057	एच-903, गांधीनगर
28.	68/2015	श्रीमती मोहनी शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान विधानसभा जयपुर	31.03.2055	एच-905, गांधीनगर
29.	69/2015	श्री मोहन सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी, निदेशालय योजना भवन जयपुर	30.09.2051	एच-907, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour  
Designation : Senior Deputy  
Secretary To Government  
Date: 2024.10.23 17:59:28 IST  
Reason: Approved

30.	1/2016	श्रीमती ओमकंवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय उप माहनिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर	30.04.2035	एच-911, गांधीनगर
31.	2/2016	श्री इन्द्र दान चारण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सिविल न्यायाधीश महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर	30.04.2043	एच-912, गांधीनगर
32.	4/2016	श्री कुलदीप शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सांगानेर जयपुर	30.06.2045	6/6, गांधीनगर

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)  
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- सचिव, राजस्थान विधानसभा / राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग / इंदिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय/पर्यटन विभाग/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/ जल ग्रहण विकास एवं भू जल संरक्षण/ अभियोजन विभाग/पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour  
Designation : Senior Deputy  
Secretary To Government  
Date: 2024.10.23 17:59:28 IST  
Reason: Approved

6. अति. मुख्य अभियंता/अधिशायी अभियंता/सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 05 एवं क्रम-21/विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 08/न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 19, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. उप महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अति प्राधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. उप वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक,सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. अधिशायी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
18. अधिशायी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
20. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour  
Designation : Senior Deputy  
Secretary To Government  
Date: 2024.10.23 17:59:28 IST  
Reason: Approved

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

**प्रपत्र**

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	पिता / पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित हैं? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर